कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3/2025/ 1412 — लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2025

यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2025 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

यू0पी0 नीट पी0जी0 2025 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 06 जून, 2025 के बिन्दु–2 (ii) अर्हताएं (Eligibility) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैः–

- **''नीट एम0डी0एस0 2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी इन्टर्नशिप 31 मार्च, 2025 को पूर्ण हो रही हो।''**

डेन्टल काउंसिल आफ इण्डिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (दंत शिक्षा विभाग), भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यू0पी0 नीट पी0जी0 2025 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 06 जून, 2025 उल्लिखित उपरोक्त व्यवस्था के स्थान पर निम्नांकित व्यवस्था पढ़ी/समझी जायेः–

- **''नीट एम0डी0एस0 2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी इन्टर्नशिप 30 जून, 2025 को पूर्ण हो रही हो।''**

उक्तानुसार यू0पी0 नीट पी0जी0 ब्रोशर 2025 के बिन्दु–2 "Eligibility" में उल्लिखित उक्त अर्हता को भी तद्नुसार संशोधित समझा जाये।

नीट एम0डी0एस0–2025 की काउंसिलिंग संबंधी अद्यतन सूचनाओं के लिए विभागीय बेवसाइट https://upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक